

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2018


विषय: शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-मेरठ की 18 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5812/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, झुंडा, मेरठ के पत्र संख्या-258/झुंडा/मेरठ/17-18, दिनांक 28.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 में जनपद-मेरठ की नगर पंचायत, हस्तिनापुर व नगर निगम, मेरठ की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 21 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-212/26-ब0प्र0-2017-43(बजट)/2013, दिनांक 03 मार्च, 2014 द्वारा ₹0 838.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 419.215 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से केवल 18 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹0 364.435 लाख (रुपये तीन करोड़ चौंसठ लाख तैंतालिस हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0 एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रो. श्री. अनिल कुमार बाजपेयी

  
TE/304  
11/2/18

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

17. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।  
संलग्नक: यथोक्त।

भुवदीय  
31/1/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव

संख्या-39/2018/504(1)/69-1-2017, तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	मेरठ	न०१० हस्तिनापुर	वार्ड नं०-9 में बिजेन्द्र बाल्मीकि के मकान से नरेन्द्र नाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	33.09	16.545
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-10 में डा० नरेश के मकान से कान्ती प्रसाद, लारू के मकान से मन्दिर तक, मन्दिर से बिजेन्द्र बाल्मीकि के मकान, दिलीप के मकान से राय सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	26.17	13.085
3.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-10 में बिजेन्द्र बाल्मीकि के मकान से ममचन्द्र, रायसिंह के मकान से सूरज के मकान तक, सतेन्द्र के मकान से चन्द्रासेन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	34.50	17.25
4.	मेरठ	नगर निगम, मेरठ	चन्द्रलोक कृष्णपुरा में सरजीज के मकान से ओमपाल के मकान, मास्टर ओमवीर के मकान से सरदार सिंह के मकान एवं टोनी के मकान से मांगे के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	28.00	14.00
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-32 में कालीम फैक्ट्री से पंडित के मकान तक पार्ट-1 इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	39.06	19.53
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-32 में कालीम फैक्ट्री से पंडित के मकान तक पार्ट-2 इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	37.48	18.74
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-32 चन्द्रलोक कृष्णपुरा में मास्टर धर्म सिंह के मकान से रामभरोसे की बक्सी के ताल तक पार्ट-1 में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	28.46	14.23
8.	तदैव	तदैव	ओम प्रकाश सोनकर के मकान से ओम प्रकाश बाल्मीकि, सोनपाल बाल्मीकि मकान से उर्मिला के मकान एवं अर्जुन सिंह के मकान से ओम प्रकाश के तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	26.02	13.01
9.	तदैव	तदैव	बाल्मीकि वार्ड नं०-28 में नन्हू राम जी के मकान से रामस्वरूप भाई जी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	24.14	12.07
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-28 में विनोद के मकान से शान्ती देवी के मकान, किशोर वाली गली, उमा वाली गली, विजय से राधे, विद्या देवी की गली तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	32.23	16.115
11.	तदैव	तदैव	पप्पू के मकान से ताराचन्द्र से शिवचन्द्र के मकान, मास्टर कोजि से मन्दिर, मन्दिर से मोतजी के मकान, सूरज के मकान से सुन्दर तक एवं सुन्दर के मकान से रानी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	60.00	30.00
12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-28 में सुन्दर के मकान से जगदीश के मकान तक, अमेहरा रोड न्यू मीनाक्षी पुरम्, पुरन के मकान से सीजपाल के मकान तक, इन्दजीत से बन्टी के मकान तक, विनोद के मकान से जगदीश के मकान तक, मारवाडी मो० न्यू मण्डी	51.12	25.56

			तक, पम्मी के मकान से बुद्धराम के मकान, सतीश के मकान से राकेश यादव के मकान तक, छिम्पौली से दिलीप के मकान तक, सुनील के मकान से बाबूराम के मकान तक, नरेन्द्र के मकान से कालीचरण के मकान तक एवं पाटवारी वाली गली अम्हेरा रोड न्यू मीनाक्षी पुरम में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
13.	तदैव	तदैव	वाई नं0-28 में ए0के0सिंह के मकान से वी0के0 साहू के मकान तक, ममेरु न्यू मीनाक्षीपुरम् तक, डाक्टर से चौहान के मकान तक, शीज के मकान से महेश के मकान तक, धनसिंग वाली गली, बिरजू हाउस से दौलत हाउस से मेमेपुर न्यू मनाक्षीपुरम गली नं0-03 राजवीर से धर्मसिंह से नानक के मकान तक, जगदीश से राजवीर के मकान तक, नूनम के मकान से प्रमोद के मकान तक, सत्येन्द्र मेमोपुर न्यू मीनाक्षीपुरम में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	67.98	33.99
14.	तदैव	तदैव	वाई नं0 28 में मानसिंह से प्यारेलाल के मकान तक, मूलचन्द से शिवचरण के मकान तक, रामवीर के मकान से कृपाल के मकान तक राधेश्याम से अजीत सैनी के मकान तक, राजू वाली गली, सुभाष से जोनी से महेश से जगराम के मकान तक, रामप्रसाद वाली गली, नोनू से सेठी के मकान से आजाद नगर तक, शर्मा से रामचन्द्र से अरविन्द के मकान तक, रामनाथ रोशन से अमीलाल के मकान तक एवं चिरजीव से कालवा से विनोद के घर तक अमरेह्य रोड न्यू मीनाक्षीपुरम कासेरुखेडा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	80.66	40.33
15.	तदैव	तदैव	वाई नं0 28 में वेद प्रकाश से उदयसिंह के मकान तक, सुशील शर्मा वाली गली, नरेन्द्र से राजेश, जयप्रकाश से हरवीर सिंह, चौहान से प्रमोद के मकान तक, गीता रानी से शिवा कुमार शर्मा, राकेश वाली गली, कूदे सिंह पानवाड से सेवालाल से अनिल के मकान तक, न्यू मीनाक्षी पुरम कासेरुखेडा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	47.28	23.64
16.	तदैव	तदैव	न0नि0 मेरठ के वार्ड नं0-28 में विजय से मांगू के मकान तक, भूपाल सिंह से हगू सिंह के मकान तक, सुशील कुमार से मन्नु कुमार सिंह के मकान तक न्यू मीनाक्षी पुरम कासेरुखेडा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	38.50	19.25
17.	तदैव	तदैव	वाई नं0-28 में विकी राना के मकान से सीताराम यादव के मकान तक, राधेश्याम के मकान से पप्पू के मकान तक, न्यू मीनाक्षी पुरम कासेरुखेडा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	35.16	17.58
18.	तदैव	तदैव	वाई नं0-28 में सुनील कुमार से मेवालाल, वेदप्रकाश से उदम सिंह, परेन्द्र गूजर से राजेश यादव एवं चौहान के मकान से प्रमोद के मकान तक न्यू मीनाक्षी पुरम कासेरुखेडा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.02	19.51
			योग	728.87	364.435

(रुपये तीन करोड़ चौंसठ लाख तैंतालिस हजार पांच सौ मात्र)

  
 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
 अनु सचिव।